Fax to PD NHAI CHITTOR 01472-246474
266

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 14(एनएच)2011/एफसीए/प्रमुवसं/3884 दिनांकः 01/07/2015

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर ।

विषयः–रिहेब्लिटेशन एण्ड अपग्रेडेशन टू 2 लेन विथ पेव्ड सोल्डर कान्फिग्यूरेशन विथ दा प्रोविजन ऑफ केपेसिटी आबूमेंटेशन ऑफ पाधी दाहोद सेक्शन किमी. 180.00 टू किमी. 267.00 एनएच 113 एनएचडीपी 4 बी ग्रुप–ए पैकेज 5 इन दा स्टेट ऑफ राजस्थान एण्ड गुजरात के संबंध में । (क्षेत्रफल 4.4181 है0)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत उप वन संरक्षक(केन्द्रीय), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 8 बी/राज/06/125/2015/एफसी/250 दि. 18.6.15 एंव शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान जयपुर ने अपने पत्रांक प. 1 (41) वन/2012 दिनांक 1.7.15 से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 4.4181 हैक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन एंव 415 वृक्षों के पातन हेतु कुछ शर्तोधीन विधिवत स्वीकृति प्रदान की है। अतः निम्नांकित शर्तोंधीन सम्बन्धित विभाग/संस्था को वन भूमि के उपयोग की अनुमति दे दी जावे। साथ ही पालना प्रतिवेदन एवं मोनेटरिंग रिपोर्ट भिजवाई जाएः–

1. भारत सरकार एवं राज्य सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्रों में अंकित समस्त शर्तों की कड़ाई से पालना की जावे।
2. मुख्य वन संरक्षक स्तर पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना का प्रबोधन निरंतर किया जावे।
3. मुख्य वन संरक्षक के क्षैत्र से संबंधित समस्त स्वीकृतियों का पृथक से एक रजिस्टर संधारित किया जावें ।

भवदीय,

संलग्नः–उक्तानुसार ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ 14(एनएच)2011/एफसीए/प्रमुवसं/3885-88 दिनांकः 01/07/2015

प्रतिलिपि निम्न को भारत सरकार/राज्य सरकार के उक्त पत्रों की प्रतियां सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 1 (41) वन/2012 दिनांक 1.7.15 के क्रम में ।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्थान, जयपुर को प्रकरण में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक एवं विधिवत स्वीकृतियों की प्रतियां एवं राज्य सरकार के पत्र दि. 1.7.15 की प्रति प्रेषित कर लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित शर्त सं. 2 की पालना अपने स्तर से करने का कष्ट करे।
3. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त के साथ–साथ स्वीकृति के सम्बन्ध में निम्न निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंः–

(i) मण्डल से संबंधित समस्त प्राप्त स्वीकृतियों के सम्बन्ध में पृथक से एक रजिस्टर में सूचना संधारित की जावे।

4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई, 59 बी, बापूनगर (पश्चिम) रोड़ नं. 5 सेतीं, चित्तौड़गढ।

संलग्नः–उक्तानुसार ।

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए.,
राजस्थान, जयपुर।

E/: Office documents/ final project

3293/RS/13 97/92
12/12/13

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय {मध्य क्षेत्र}

कार्यालय वन विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी क्रमांक 8568
दिनांक 12/12/13

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–0522–2326696

पत्र सं0 8 बी/राज0/06/15/2012/एफ.सी. /1388

दिनॉकः 03.12.2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : रिहेब्लिटेशन एण्ड अपग्रेडेशन टू 2 लेन विथ पेब्डसोल्डर कान्फिग्यूरेशन विथ दा प्रोविजन आफॅ केपेसिटी आबूमेंटेशन आफॅ पाधी दाहोद सेक्शन किमी0 180.00 टू किमी0 267.00 एनएच 113 एनएचडीपी 4 बी–ग्रुप ए पैकेज 5 इन दा स्टेट आफॅ राजस्थान एण्ड गुजरात के संबंध में। (क्षेत्रफल– 4.4181 हे0)

सन्दर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर का पत्रांक– एफ14(एनएच)2011/वसु/एफसीए/प्रमुवसं/9970, दिनांक– 20.11.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(41)वन/2012, दिनॉकः 13.07.2012 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन {संरक्षण} अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति मॉगी गयी है ।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 28.05.2013 द्वारा अतिरिक्त सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुंआ है कि केन्द्र सरकार रिहेब्लिटेशन एण्ड अपग्रेडेशन टू 2 लेन विथ पेब्डसोल्डर कान्फिग्यूरेशन विथ दा प्रोविजन आफॅ केपेसिटी आबूमेंटेशन आफॅ पाधी दाहोद सेक्शन किमी0 180.00 टू किमी0 267.00 एनएच 113 एनएचडीपी 4 बी–ग्रुप ए पैकेज 5 इन दा स्टेट आफॅ राजस्थान एण्ड गुजरात के पक्ष में 4.4181 हे0 गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं 415 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती हैः–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 4.4181 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेग तथा इसे छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 07 से 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा किया जायेगा।

4. भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।

Par. PD NHAI CHITTOR DIV. - 246474

93/98

6. प्रयाक्ता आभ्करण क व्यय पर प्रस्ताावत वन क्षत्र का बाउन्ड्रा पालर द्वारा सामाकन किया जायगा जिसका अक्षाष एव दषान्तर भी मानचित्र एव पीलर पर दर्षाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिषा भी लिखनी होगी। इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी. वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैचमैन्ट ऐरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (कैट प्लान), मार्ग/प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण, मलवा निस्तारण, बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

8. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक– 11-9/98-FC, Dated- 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (.shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं प्रस्तावित वृक्षों के पातन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव से संबंधित सभी ग्राम सभाओं के प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी जिसमें स्पष्ट अंकित हो कि ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार के सभी दावों का निस्तारण हो चुका है एवं ग्राम सभा वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर सहमत है एवं संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

भवदीया,

03/04/13

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, वन, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर, राजस्थान।
3. उप वन संरक्षक, बांसवाड़ा, राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी0आई0यू0), 59 बी, बापूनगर (प0) रोड नं0–5, सेंती, चित्तौड़गढ़, राजस्थान–312001
5. आदेश पत्रावली ।

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक(के.)

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर- एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8 बी/राज0/06/15/2012/एफ.सी. | 250

दिनाँक: 18.06.2015

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : रिहेब्लिटेशन एण्ड अपग्रेडेशन टू 2 लेन विथ पेब्डसोल्डर कान्फिग्यूरेशन विथ दा प्रोविजन आफॅ केपेसिटी आबूमेंटेशन आफॅ पाधी दाहोद सेक्शन किमी0 180.00 टू किमी0 267.00 एनएच 113 एनएचडीपी 4 बी–ग्रुप ए पैकेज 5 इन दा स्टेट आफॅ राजस्थांन एण्ड गुजरात के संबंध में। (क्षेत्रफल– 4.4181 हे0)

संदर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान का पत्रांक– एफ14(एनएच)2011/वसु/एफसीए/प्रमुवसं/525, दिनांक– 16.02.15 एवं पत्रांक-- एफ14(एनएच)2011/वसु/एफसीए/प्रमुवसं/2991, दिनांक– 07.05.15

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, राजस्थान का पत्रांक प01(41)वन/2012, दिनाँक: 13.07.2012 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के तहत स्वीकृति माँगी गयी है ।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 29.11.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालना प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर, राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार रिहेब्लिटेशन एण्ड अपग्रेडेशन टू 2 लेन विथ पेब्डसोल्डर कान्फिग्यूरेशन विथ दा प्रोविजन आफॅ केपेसिटी आबूमेंटेशन आफॅ पाधी दाहोद सेक्शन किमी0 180.00 टू किमी0 267.00 एनएच 113 एनएचडीपी 4 बी ग्रुप ए पैकेज 5 इन दा स्टेट आफॅ राजस्थान एण्ड गुजरात के पक्ष में 4.4181 हे0 गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं 415 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वन भूमि अर्थात 4.4181 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 4.4181 हे0 गैर वन भूमि का अमल दरामद वन विभाग, राजस्थान के पक्ष में हो चुका है। इसे आरक्षित वन भूमि के रूप में छः माह में अधिसूचित किया जाएगा। वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के एक वर्ष की अवधि के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

3. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

4. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

5. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

6. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

10. प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। उक्त कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

11. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति वन महानिदेशक (एफ.सी), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0ए0व0क्यू0), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. कार्म्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, अरण्य भवन, झालवा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर, राजस्थान
4. मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर, राजस्थान।
5. उप वन संरक्षक, बांरावाड़ा, राजस्थान।
6. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (पी0आई0यू0), 59 बी, बापूनगर (ग0) रोड नं0–5, सेती, चित्तौड़गढ़, राजस्थान–312001
7. श्री आनन्द कुमार, आशुलिपिक, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश पत्रावली ।

(अमित मिश्र)
उप वन संरक्षक (के0)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

No.F.1(41) Forest/2012 Jaipur, dated: 01-07-2015

ORDER

MoEF&CC, GOI Regional Office, Lucknow vide letter No. F.No.8B/Raj/06/15/2012/FC/250 dated 18.06.2015 has conveyed its approval for diversion of 4.4181 ha. forest land in district Banswara and felling of 415 trees for rehabilitation & upgradation to two lane with paved shoulders configuration with provision of capacity augmentation of Padi to Dahod section from 180km to 267km (NH 113) in the State of Rajasthan and Gujrat. In pursuance of the above clearance by Govt. of India, State Government hereby accords approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act 1980 with the following conditions:-

1. The conditions imposed by MoEF&CC, GoI in their forest clearance date 18.06.2015 will be complied with by all concerned.
2. This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed on the website by State Forest Department as well as by MoEF&CC, GoI.
3. The project proponent should publish the entire forest clearances granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forestry purposes.
4. The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
5. Any other condition as and when imposed by the State Government.

Please issue the required approval in this case from this end

Sd/-
(Yogendra Kumar Dak)
Secretary, Forests

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhawan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt. of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003 – with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF&CC website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment, Forests & Climate Changes, Govt.of India, Indira Paryavaran Bhawan, Jor Bagh Road, New Delhi – 110 003
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur – with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, JLN Marg, Jaipur – to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Udaipur.
8. Deputy Conservator of Forest, Banswara.
9. Project Director, National Highways Authority of India, PIU, 59-B, Road No. 5 Bapunagar (W), Senthi, Chittorgarh
10. Guard File

Secretary, Forests